**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**लोक सभा**

**11.03.2020 के**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2819 का उत्तर**

**रेलगाड़ियों को रद्द करना**

**2819. श्री अक्षयवर लालः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने (वर्ष 2019 में) वाद सं. 1011/2016 में दिए आदेश में उत्तर-पूर्व रेल की बहराइच से मैलानी रेल मार्ग पर चलने वाली रेलगाड़ियों को रोकने का निर्णय दिया है;**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और**

**(ग) क्या सरकार बहराइच और लखीमपुर जिले के लोगों को इसके अनेक वर्षों से मिल रहे लाभ को ध्यान में रखते हुए, उक्त रेलगाड़ी सुविधा को जारी रखने हेतु न्यायालय में अपील करेगी?**

**उत्तर**

**रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)**

**(क) से (ग): माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, सचिवों की समिति ने गोंडा-सीतापुर-मैलानी खंड पर बड़ी लाइन का कार्य पूरा होने तक नानपाड़ा-मैलानी खंड पर गाड़ी सेवाओं को रोकने का निर्णय लिया था। तदनुसार, 14.02.2020 को सीतापुर-मैलानी खंड के शुरू होने पर नानपाड़ा-मैलानी खंड पर मीटर आमान की गाड़ियों को 16.02.2020 से रोक दिया गया है।**

**नानपाड़ा-मैलानी क्षेत्र के निवासियों द्वारा दायर की गई जन-हित-याचिका की सुनवाई के दौरान, 24.02.2020 को माननीय न्यायालय ने भारतीय रेलवे को निदेश दिए कि "इस मामाले को सुचारू तरीके से निपटाने का निर्णय लें ताकि लाखों यात्रियों को असुविधा न हो"। मामले की जांच की जा रही है।**

******

Sk